(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः   पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषयः **श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला– गया द्वारा गया मोरहर नदी ब्लॉक–31 (गया मोरहर–18), बालू घाट, ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, जिला– गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला– गया द्वारा गया मोरहर नदी ब्लॉक–31 (गया मोरहर–18), बालू घाट, ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, जिला– गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 30.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला– गया द्वारा गया मोरहर नदी ब्लॉक–31 (गया मोरहर–18), बालू घाट, ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, जिला– गया को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 1036

पटना, दिनांक :– 30/5/24.

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 30.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 30.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

29/5/24
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

दूरभाष नं0–0612.2261250,2262265,फैक्स न0–0612.2261050ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in,वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

"D:\BSPCB\PC-17\P.H\LETTER SEIAA.docx"

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला–गया द्वारा गया ब्लॉक–31, मोरहर नदी बालू घाट (गया मोरहर–18), ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–31, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 30.08.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2415/2023, dated 01.06.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 30.08.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 01.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया ब्लॉक–31, मोरहर नदी बालू घाट (गया मोरहर–18), ग्राम– शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल– शेरघाटी, ब्लॉक–31, जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को

Scanned with CamScanner

विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री नीरज कुमार, पताः भोरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा DMF फंड के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि DMF फंड को जिला पदाधिकारी स्तर पर गठित कमिटि द्वारा योजनाबद्व तरिके से आवश्यकतानुसार खर्च किया जायेगा साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर समाजिक कार्य होते है उन सभी में सूचना मिलने पर मदद किया जाता है तथा अपातकालीन स्थिति में खर्चा होता है। इसप्रकार श्री नीरज कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री राजीव रंजन, पताः भोरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–** बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न**

Scanned with CamScanner

		कार्य किया जायेगाः– खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। जिससे जल प्रदूषण की समस्या न हो। **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–** लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया साथ ही तेज ध्वनि वाला हॉर्न का उपयोग नही करेगें। इसप्रकार श्री राजीव रंजन को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री विभूति भूषण, पताः कठार, भोरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा स्थानीय लोगो को रोजगार देने एवं मजदूरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा तथा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम नहीं दिया जायेगा। इसप्रकार श्री विभूति भूषण को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री उपेन्द्र यादव, पताः महमताजपुर, भोरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धुल–कण की रोक–थाम एवं वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही खनन अवधि में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा। इसप्रकार श्री उपेन्द्र यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

Scanned with CamScanner

5.	श्री सुमित कुमार, पता: कठार, भोरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन से हमलोगो को क्या लाभ मिलेगा; इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान बालू उठाव के साथ–साथ पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा साथ ही बालू खनन होने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगा। इसप्रकार श्री सुमित कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

(हस्ताक्षर) 27.5.24
अपर समाहर्त्ता,
गया
उप विकास आयुक्त
बांका

Scanned with CamScanner

उपस्थिति सूची

मेसर्स श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला–गया द्वारा गय
ब्लॉक–31, मोरहर नदी बालू घाट (गया मोरहर–18
ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–31
जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणी
स्वीकृति दिनांकः 30.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंच
कार्यालयः शेरघाटी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई व
दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	[illegible], [illegible]	[signature] 30.8.23
2.	Manoranjan Kr Singh	R.O, B. S P.C Bd, Gaya	[signature] 30/8/23
3.	Shubham Verma	RO, Sherghati	SV 30/08/23
4.	Kunal Kashyap	CRIPL	Kunal 30/8/23
5.	[illegible]	Co, Sherghati	[signature] 30/8/23
6.	रंजन कुमार	कामत शेरघाटी	रंजन कुमार 30-8-023
7.	Ravindra Kumar Singh 9973211541	[illegible], Gaya	[signature]
8.	Deepak Kr. Singh 9931850152	B.T. Bigha Po Sherghati Gaya.	Deepak Kr. Singh

9.	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा 9801664661	ग्रा० + पो० श्रीरामपुर थाना - शेरघाटी जिला गया	धर्मेन्द्र [illegible]
10.	मनोज कुमार 9523013922	ग्राम पो० सि०टी० बिगहा	मनोज कुमार
11.	सुरेन्द्र पांडेय 9934680183	B-TB बिगहा	सुरेन्द्र पांडेय
12.	कमलेश पासवान 9661736012	श्रीरामपुर	कमलेश पासवान
13.	पंकज पाठक 8851824421	पता औरंगडीह	पंकज पा
14.	संतोष कुमार सिंह 9546507064	समोद बिगहा	[illegible]
15.	विनोद पाठक	कठार समोद बिगहा	विनोद पाठक
16.	Yogesh singh 9508548631	कठार समोदबिगहा	Yogesh singh
17.	Surendra Kumar 8700833937	Samod Bigha	Surendra
18.	[illegible] 6206830062	B.T. Bigha	[illegible]
19.	Manoj Prasad Singh 9931537477	B.T. Bigha	[illegible]

Scanned with CamScanner

20.	BASANT SINGH 9431278424.	B.T. Bigha Sherghati Gaya	[illegible] 30/8/21
21.	8084311213 औरङ्गाबाद	Village [illegible] Sherghati Gaya	औरङ्गाबाद
22.	Saket Kumar 9771493285	B.T. Bigha Sherghati	[illegible]
23.	Pritam kumar Singh 9430200371	B.T. Bigha Sherghati	Pritam [illegible]
24.	Bibhuti Bhushan 9022351151	Samod Bigha	B
25.	Nishant Kumar 7277280977	Samod Bigha	Nishant
26.	Sourabh kumar 7277401932	Samog bigha	Saurabh kumar
27.	9661948807 रविन्द्र पासवान	~~रविन्द्र पासवान~~ गयाद	रविन्द्र
28.	Tinku singh 9162807332	Shamod bigha	Tinku singh
29.	Sanjay kumar	Samodh bigha	[illegible]
30.	Bhim kumar 9430200371	B.T. Bigha Sher	[illegible]

Scanned with CamScanner

31.	Saket Kumar 9771491211	[illegible] B.T. Bigha Shanghat	[signature]
32.	Pankaj Yadav 9631171121	शाोजापुर	Pankaj Yadav
33.	[illegible] यादव	गोजापुर	[illegible] यादव
34.	Chhotu Singh 9931753817	[illegible]	Chhotu Singh
35.	Guddu Singh 7004682342	Sherghati	Guddu Singh
36.	Vicky Kumar 9472252142	Samod bigha	[signature]
37.	Satendra [illegible] 9661737765	Samod bigha	Satendra Singh
38.	Guntay Kr Singh 9199192690	Samod Bigha Sherghati	[signature]
39.	[illegible] 9155371197		
40.	PANKAJ Singh	9801436424	Pankaj
41.	रविन्द्र पासवान	[illegible]	रविन्द्र

Scanned with CamScanner

42.	Guddu Singh 7004682342	Sherghati	Guddu Singh
43.	राजीव रंजन	शेरघाटी	Rajeev Ra
44.	Raju Kumar	~~Bodhgaya~~ शेरघाटी	Raju
45.	Nishant Kr	शेरघाटी	[illegible]
46.	Gaurav Kumar 9870210373	Sherghati	[illegible]
47.			
48.			
49.			
50.			

Scanned with CamScanner

लोक-सुनवाई
टेबल सं०- 18

बालू घाट (गया मोरहर-18), ग्राम-शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल-शेरघाटी,
ब्लॉक-31, जिला-गया का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय
स्वीकृति के वास्ते
"लोक-सुनवाई"
दिनांक: 30.08.2023, समय: अपराह्न 02:00 बजे
लोक सुनवाई का स्थल: अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला- गया

टेबल सं०- 16

	AdDesc	NPRONo	AdSize	Publish Dt by Dept.	Publish Dt by IPRD	File send to News Paper	News Paper	Edition
47/23-24		IPRD_RO_005894/23-24	170	29-Jul-2023	01-Aug-2023	Download File	Dainik jagran	Dainik Jagran Patna
47/23-24		IPRD_RO_005894/23-24	170	29-Jul-2023	01-Aug-2023	Download File	Hindustan	Hindustan Gaya

ved.

IP Address: 164.100.212.73

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

BIHAR

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010

ई–मेल- bmsbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:–

1. मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकः सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन–रामपुर, जिला–गया द्वारा गया, ब्लॉक–42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़–11/12/13), ग्राम–बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवारा, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–42, जिला–गया; एवं
2. मेसर्स श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला–गया द्वारा गया, ब्लॉक–31, मोरहर नदी बालू घाट (गया मोरहर–18), ग्राम–शेरपुर, बरवाँ, पोस्ट ऑफिस, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–31, जिला–गया इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक–सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया; महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाईटः http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई–मेलः msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

क्रमांक	दिनांकः	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
1.	30.08.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	शेरघाटी, जिला–गया	गया जिला अन्तर्गत बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवारा	गया बुढ़–11/12/13	अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया
2.		अपराह्न 02:00 बजे	शेरघाटी, जिला–गया	गया जिला अन्तर्गत शेरपुर, बरवाँ	गया मोरहर 18	अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव /विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव

PR- 006047 (Ni.Ni.) 2023-24

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

01/08/2023 13:37